

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

राजस्व लोक अदालत-न्याय आपके द्वार 2017

पीठासीन अधिकारी:-श्री साधुराम जाट, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:- 73/17 प्रार्थना पत्र

उनवान

1- जेटु पिता दौला ढोली नि० टूंगच तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

- 1- बंशी पिता दौला ढोली नि० टूंगच तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2-गोवर्धन पिता दौला ढोली नि० टूंगच तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 3-लेहरू पिता मांगु सालवी नि० टूंगच तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 4-उदयलाल पिता छोला बलाई नि० टूंगच तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 5-जीतु पिता धन्ना प्रजापत नि० टूंगच तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 6-मीटु पिता धन्ना प्रजापत नि० टूंगच तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल०आर०एक्ट

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन

अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

दिनांक 12.07.2017

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कम्प रायपुर मे पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है प्रार्थी के खातेदारी अधिकारो की कृषि आराजियात ग्राम टूंगच पटवार हल्का टूंगच के तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी मे स्थित खाता संख्या 52 मे अंकित आराजी संख्या 781 रकबा 0.50 हे०, 782 रकबा 0.07 हे०, 783 रकबा 0.15 हे०, 784 रकबा 0.06 हे०, 1805/792 रकबा 0.52 हे०, 1809/933 रकबा 0.11 हे० कुल किता 06 कुल रकबा 1.41 हे० भूमि स्थित है। प्रमाण मे वर्तमान जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। प्रार्थी की कृषि आराजियात के चारो तरफ सीमा के कोई मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थी को अपनी कृषि आराजियात मे मवेशी चराने, घास काटने, फसल काश्त करने मे आये दिन विपक्षीगण से विवाद बना रहता है तथा विपक्षीगण आये दिन प्रार्थी की कृषि आराजियात मे दखलनदाजी करते रहते है व विपक्षीगण ने प्रार्थी की भूमि की थोहर की बाड़ को काटकर प्रार्थी की भूमि मे कब्जा करना शुरू कर दिया है। प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि का सीमा ज्ञान करवाया फिर भी विपक्षीगण नही मान रहे है जिससे प्रार्थी की कृषि आराजियात की पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी द्वारा कई बार विपक्षीगण को उनकी कृषि आराजियात की पत्थरगढी करवाने बाबत् कहा परन्तु विपक्षीगण हर बार टालम बाजी का जवाब देते रहते है व अंतिम बार प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण को उनकी कृषि आराजियात की पत्थरगढी करवाने बाबत् दिनांक 05.06.2017 को कहा तो विपक्षीगण इंकार हो गये जिससे प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है।

2

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय में दिनांक 09.06.2017 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 से 06 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही की गई। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का कोई अन्देशा नहीं है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है। अतः

### आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम टूंगच पटवार हल्का टूंगच के तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में स्थित खाता संख्या 52 में अंकित आराजी संख्या 781 रकबा 0.50 हे०, 782 रकबा 0.07 हे०, 783 रकबा 0.15 हे०, 784 रकबा 0.06 हे०, 1805/792 रकबा 0.52 हे०, 1809/933 रकबा 0.11 हे० कुल कित्ता 06 कुल रकबा 1.41 हे० भूमि स्थित है। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे कास्त की भूमि में किसी भी प्रकार दखलंदाजी नहीं करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा दें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थी सक्षम न्यायालय में चाराजोही करे। प्रार्थी इस कार्य के लिये तहसील रायपुर में रूपये 100/- अक्षरे सौ रूपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 650/- अक्षरे छः सौ पच्चास रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर में दाखला अंकित किया जावे।

साधुराम जाट  
आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 12.07.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
रायपुर जिला भीलवाड़ा